रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082020-221016
CG-DL-E-08082020-221016

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 07, 2020/ श्रावण 16, 1942
No. 317] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 07, 2020/SHRAVANA 16, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.064 - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016(जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 4क के उप-विनियम (2) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

"(कक) जिनके बोर्ड के पास यथा-रजिस्ट्रीकृत पते, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में हैं, जिसमें कारपोरेट ऋणी के अभिलेखों में लेनदारों के पतों के अनुसार उस वर्ग के लेनदारों की संख्या उच्चतर है:

परन्तु जहां ऐसे राज्य या संघ-राज्यक्षेत्र में पर्याप्त संख्या में दिवाला व्यावसायिक नहीं है, वहां ऐसे दिवाला व्यावसायिकों पर विचार किया जाएगा जिनके पते समीपस्थ, यथास्थिति, राज्य या संघ-राज्यक्षेत्र में हैं;" ।

3. मूल विनियमों के विनियम 16क में, उप-विनियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(9) प्राधिकृत प्रतिनिधि कार्यसूची को, एक वर्ग के लेनदारों को परिचालित करेगा और समिति की बैठक में प्रभावी रूप से भाग लेने के लिए स्वयं को समर्थ बनाने हेतु कार्यसूची की किसी भी मद पर उनके प्रारंभिक विचारों की ईप्सा कर सकेगा:

परन्तु लेनदारों को अपने प्रारंभिक विचार प्रस्तुत करने के लिए कम से कम बारह घंटे की समय विंडो प्राप्त होगी और उक्त विंडो प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रारंभिक विचारों की ईप्सा करने के कम से कम चौबीस घंटे पश्चात् खुलेगी:

परन्तु यह और कि ऐसे प्रारंभिक विचारों को लेनदारों द्वारा दिए गए मतदान अनुदेशों के रूप नहीं समझा जाएगा ।"।

4. मूल विनियमों के विनियम 39 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"(3) समिति,-

(क) उप-विनियम (2) के अधीन प्राप्त समाधान योजनाओं का मूल्यांकन मैट्रिक्स के अनुसार मूल्यांकन करेगी;

(ख) प्रत्येक समाधान योजना की साध्यता और व्यवहार्यता के संबंध में अपनी मंत्रणा को अभिलिखित करेगी; और

(ग) ऐसी सभी समाधान योजनाओं पर एक-साथ मतदान करेगी।

(3क) जहां केवल एक समाधान योजना के संबंध में मतदान कराया जाता है वहां उसे तब अनुमोदित समझा जाएगा यदि उसे अपेक्षित मत प्राप्त होते हैं ।

(3ख) जहां दो या उससे अधिक योजनाओं के संबंध में एक-साथ मतदान कराया जाता है वहां उस समाधान योजना को अनुमोदित समझा जाएगा जिसे उच्चतर मत प्राप्त होते हैं किन्तु वे मत अपेक्षित मतों से कम नहीं है:

परन्तु जहां दो या उससे अधिक समाधान योजनाओं को समान मत प्राप्त होते हैं किन्तु वे अपेक्षित मतों से कम नहीं हैं, वहां समिति मतदान से पूर्व घोषित टाई-ब्रेकर फार्मूले के अनुसार उनमें से किसी एक योजना का अनुमोदन करेगी:

परन्तु यह और कि जहां किसी भी योजना को अपेक्षित मत प्राप्त नहीं होते हैं वहां समिति, संहिता के अधीन समय-सीमा के अधीन रहते हुए, उस समाधान योजना के संबंध में पुन: मतदान करेगी, जिसे उच्चतर मत प्राप्त हुए हैं।

दृष्टांत– समिति दो समाधान योजनाओं, अर्थात्, योजना क और योजना ख के संबंध में मतदान कर रही है। मतदान का परिणाम निम्न प्रकार है :

मतदान परिणाम	पक्ष में मतों की प्रतिशतता		अनुमोदन की स्थिति
	योजना क	योजना ख	
1	55	60	किसी भी योजना का अनुमोदन नहीं किया जाता है क्योंकि किसी भी योजना को अपेक्षित मत प्राप्त नहीं हुए हैं। समिति, संहिता के अधीन समय-सीमा के अधीन रहते हुए, योजना ख के संबंध में, जिसे उच्चतर मत प्राप्त हुए हैं,पुन: मतदान करेगी।
2	70	75	योजना ख का अनुमोदन किया जाता है क्योंकि उसे उच्चतर मत प्राप्त हुए हैं, जो कि अपेक्षित मतों से कम नहीं हैं।
3	75	75	समिति, मतदान से पूर्व घोषित टाई-ब्रेकर फार्मूले के अनुसार योजना क या योजना ख का अनुमोदन करेगी।"।

डा. एम. एस साहू,अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./174/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 156, तारीख 24 अप्रैल, 2020 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2020-21/जी.एन./आर.ई.जी.059, तारीख 20अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (FourthAmendment) Regulations, 2020.

No. IBBI/2020-21/GN/REG064.-In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely: -

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (FourthAmendment) Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the principal regulations) in regulation 4A,in sub-regulation (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely: -

"(aa) having their addresses, as registered with the Board,in the State or Union Territory, as the case may be,which has the highest number of creditors in the class as per their addresses in the records of the corporate debtor:

Provided that where such State or Union Territory does not have adequate number of insolvency professionals, the insolvency professionals having addresses in a nearby State or Union Territory, as the case may be, shall be considered;".

3. In the principal regulations, in regulation 16A,for sub-regulation (9), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

"(9) The authorised representative shall circulate the agenda to creditors in a class, and may seek their preliminary viewson any item in the agenda to enable him to effectively participate in the meeting of the committee:

Provided that creditors shall have a time window of at least twelve hours to submit their preliminary views, and the said window opens at least twenty-four hours after the authorised representative seeks preliminary views:

Provided further that such preliminary views shall not be considered as voting instructions by the creditors.".

4. In the principal regulations, in regulation 39, for sub-regulation (3), the following sub-regulations shall be substituted, namely: -

"(3)The committee shall-

(a) evaluate the resolution plans received under sub-regulation (2) as per evaluation matrix;
(b) record its deliberations on the feasibility and viability of each resolution plan; and
(c) vote on all such resolution plans simultaneously.

(3A) Where only one resolution plan is put to vote, it shall be considered approved if it receives requisite votes.

(3B) Where two or more resolution plans are put to vote simultaneously, the resolution plan,which receives the highest votes, but not less than requisite votes,shall be considered as approved:

Provided that where two or more resolution plans receive equal votes, but not less than requisite votes, the committee shall approve any one of them, as per the tie-breaker formula announced before voting:

Provided further that where none of the resolutionplans receivesrequisite votes,the committee shall again vote on the resolution planthat received the highest votes, subject to the timelines under the Code.

***Illustration.* -** The committee is voting on two resolution plans, namely, A and B, simultaneously. The voting outcome is as under:

Voting outcome	% of votes in favour of		Status of approval
	Plan A	Plan B	
1	55	60	No Plan is approved, as neither of the Plans received requisite votes. The committee shall vote again on Plan B, which received the higher votes, subject to the timelines under the Code.
2	70	75	Plan B is approved, as it received higher votes, which is not less than requisite votes.
3	75	75	The committee shall approve either Plan A or Plan B, as per the tie-breaker formula announced before voting.".

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson
[ADVT.-III/4/Exty./174/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* notification No.IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Third Amendment) Regulations, 2020 published *vide* notification No. IBBI/2020-21/GN/REG059, dated the 20th April, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 156 on 24th April, 2020.

Loaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.08.08 22:42:32 +05'30'